



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

प. 1(6)(17)RSSB/संस्था/सला./2024/ 350

दिनांक 30.4.2024

श्री रामफूल मीना (सेवानि. Jt LR)
सेक्टर 6, प्लॉट नं./एमए/79,
इंदिरा गाँधी नगर, जयपुर (राजस्थान)

विषय : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17(1)(ए) के अन्तर्गत बोर्ड में सलाहकार (विधि) के पद पर प्रस्ताव आमंत्रित करने बावत।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन ग्रेड-पे रूपये 3600/- (पे मेट्रिक्स लेवल L-10) तक की अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के लिए कार्मिकों का चयन करने हेतु किया गया है। आप उप विधि रचनाकार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बोर्ड में स्वीकृत सलाहकार के पद पर आप जैसे अनुभवी व्यक्ति की शीघ्र आवश्यकता है। बोर्ड में आपका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। सलाहकार (विधि) के पद के लिए जॉब चार्ट संलग्न है।

आप कृपया अपने अनुभव का विस्तृत विवरण देते हुए वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(1)वित्त/जी एंड टी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.08.2023 के अनुसार पे माईनस पेंशन' (राशि रु. 79800/-) पर बोर्ड में सलाहकार विधि के पद पर सेवाएँ देने हेतु अपनी सहमति तीन दिवस में प्रस्तुत करें।

संलग्न : सलाहकार (विधि) पद हेतु जॉब चार्ट

(मेजर जनरल आलोक राज)

अध्यक्ष

प.1(6)(17)RSSB/संस्था/सला./2024/

दिनांक

1. नोडल अधिकारी, प्रोक्योरमेंट एन्टीटी, बोर्ड को भेजकर लेख है कि राज्यलोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर निविदा आमंत्रित करने वाली उपर्युक्त सूचना को अपलोड करावें।
2. उपनिदेशक IT CELL, RSSB को भेजकर लेख है कि बोर्ड की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
3. कैशियर/नोटिस बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

अध्यक्ष

RajKaj Ref
6733196



Signature valid

Digitally signed by Alok Raj
Designation: Chairman
Date: 2024.04.30 10:04:47 IST
Reason: Approved



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

प. 1(6)(17)RSSB / संस्था / सला. / 2024 / 350

दिनांक 30.4.2024

सलाहकार (विधि) पद हेतु संविदा सेवाओं के लिए जॉब चार्ट

1. बोर्ड के विधि तथा विधि शाखा से संबंधित कार्यों को सम्पादित करना।
2. बोर्ड के विरुद्ध एवं बोर्ड द्वारा दायर वादों, प्रार्थनाओं, अपीलों, अधिकारों एवं विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में बोर्ड की ओर से अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करना।
3. न्यायालयों में बोर्ड की ओर से समय पर वाद, प्रार्थना-पत्र, अपील, याचिका दायर करवाना या इनका जवाब प्रस्तुत करवाना।
4. राजकीय अधिवक्ता, प्रभारी अधिकारी एवं विभाग में समन्वय स्थापित कर प्रकरणों में ठोस पैरवी सुनिश्चित करवाना।
5. बोर्ड के पक्ष या विपक्ष में न्यायालयों द्वारा नियमित प्रकरणों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर समयावधि में अपील करवाना या पालना सुनिश्चित करना।
6. भर्ती के संबंध में समान प्रकृति के प्रकरणों में अब तक विभिन्न न्यायालयों से निर्णित प्रकरणों को संचालित करना।
7. अन्य कार्य जो समय-समय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा आवंटित किये जावें।

अध्यक्ष

RajKaj Ref
6733196

Signature valid

Digitally signed by Anil Raj
Designation: Chairman
Date: 2024.04.29 10:04:47 IST
Reason: Approved